—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 73/2018

उनवान

मकबूल अहमद पुत्र मुन्नु खां जाति मुसलमान निवासी दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मोहनी पत्नी रोशन
2. मुराद पुत्र रोशन जाति चीता निवासी ग्राम डूंगाजी का बाडिया, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
3 राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगाजी का बाडिया के खाता संख्या किता 38 रकबा 7.51 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर बिना किसी सहमती के अवैध निर्माण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने आराजी को बल का प्रयोग कर रिक्त कराने के आशय से क्रय की है, प्रार्थी को क्रय दिनांक को ही मालुम था कि भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थी का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा व अधिकार नही है। आराजी मुतनाजा पर पूर्व में एक से अधिक न्यायालय के निर्णय आ चुके है। दिनांक 30.11.2011 से उक्त आराजी पर स्थगन है। प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :—</u>

ग्राम डूंगाजी का बाडिया के खाता संख्या किता 38 रकबा 7.51 की आराजी की आराजी प्रार्थी, अप्रार्थीगण के पति/पिता व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य करने पर आमादा है। किन्तु मूल वाद में प्रार्थी द्वारा विभाजन का संतोष नही चाहा है। प्रार्थी, अप्रार्थी के पति/पिता उक्त आराजी के सहखातेदार है तथा आराजी मुतनाजा बाबत पूर्व में अन्य न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन/पारित/लंबित है। प्रार्थी द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र व मूल वाद में उकत तथ्य स्पष्ट नही किये है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी का उक्त आराजी पर कोइ हक नही है जबकि राजस्व अभिलेख अनुसार भूमि दोनो पक्षों की व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में है। प्रार्थी द्वारा अन्य सह खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। मूल वाद में विभाजन का अनुतोष के बिना ही सह खातेदर को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही तय किये जायेगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सह खातेदार है। सह खातेदार को बिना विषम परिस्थितियों के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम डूंगाजी का बाडिया के खाता संख्या किता 38 रकबा 7.51 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:51 IST
Reason: SelfAttested